10 अगस्त तक पालनहार करवाएं बायोमेट्रिक सत्यापन

झुंझुनू, 01 अगस्त : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना जिसके अंतर्गत निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला, विकलांग माता/पिता, अनाथ, एडस पीडित माता/पिता, नाता प्रथा, तलाकशुदा महिला, पुर्नविवाहित माता, कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता, आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के 0 से 18 वर्ष के बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। विभाग के सहायक निदेशक पवन पूनियां ने बताया कि इस योजना में कुल 4345 पालनहार लाभान्वित है। सभी पालनहारों एवं बच्चों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाना है, परंतु अभी तक केवल 2703 पालनहारों का बायोमेट्रिक सत्यापन ही हो पाया है। शेष रहे 1642 पालनहारों का बायोमेट्रिक सत्यापन होना अभी भी बाकी है। पालनहार अपने बच्चों का बायोमेट्रिक सत्यापन 10 अगस्त तक अपने नजदीकी किसी भी ई—मित्र पर अपने बच्चों को साथ ले जाकर करवा सकता है।